( ) (75)

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक मु0स0प्र0/पी0पी0/01-02/ 1180 दिनांक 3/11/01

परिपत्र

राजस्थान आवासन मण्डल संपत्ति विनियम, 1970 के नियम-7 के अनुसार मण्डल के किसी भी पंजीकृत आवेदक को राजस्थान के किसी भी एक शहर में एक ही आवास आवंटित किये जाने का प्रावधान है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा-60 के अन्तर्गत जारी निर्देशों तथा दिनांक 18.08.2001 को आयोजित मण्डल की 188 वीं बैठक के बिन्दु संख्या 188.20 के निर्णयानुसार मण्डल के संपत्ति निस्तारण विनियम- 1970 के नियम-7 में इस आशय का आंशिक संशोधन किया जाता है कि " एक ही आवेदक राजस्थान के किन्हीं भी दो शहरों में आवासन मण्डल के एक-एक मकान के आवंटन हेतु पात्र होगा अर्थात ऐसे आवेदक जिनका राजस्थान के किसी एक शहर में आवासन मण्डल का मकान है, वह किसी अन्य शहर में राजस्थान आवासन मण्डल का एक मकान और लेने के लिये पात्र होगा । आवेदक जिस शहर में मकान लेने हेतु आवेदन करेगा उस शहर में उसकी पात्रता डी0 पी0 आर0 के नियम-7 के अनुसार ही तय की जावेगी ।"

मुख्य संपदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1- निजी सचिव-अध्यक्ष/ आवासन आयुक्त/ मुख्य अभियंता, रा0आ0 मं0, जयपुर ।
2- उप सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3- निजी सहायक- सचिव/वि0स0 एवं मुख्य लेखाधिकारी, रा0आ0मं0, जयपुर ।
4- निजी सहायक, अति0मु0 अ0-प्रथम/द्वितीय/तृतीय-पी0एण्ड एम0, राआमं, जयपुर
5- उप आवासन आयुक्त, वृत्त——————रा0आ0 मं0——————
6- आवासीय अभियंता, खण्ड —————— रा0आ0 मं0——————
7- समस्त प्रकोष्ठ (मुख्यालय) ——————
8- रक्षित पत्रावली ।

मुख्य संपदा प्रबंधक 3/11/2001

vkg

परि सिलेक्ट – ८ ९/१४७

RAJASTHAN HOUSING BOARD, JAIPUR

F.No. : गृहयु/2020/383

Dated : 30/7/2020

NOTIFICATION

In exercise of the power conferred by Section 53 of the Rajasthan Housing Board Act, 1970 (Act No. 4 of 1970), The Board, with the previous sanction of the State Government, here by makes the following regulations further to amend the Rajasthan Housing Board (Disposal Of Property) Regulations, 1971, namely :-

1. **Short Title and Commencement.**

   (1) These regulations may be called the Rajasthan Housing Board (Disposal Of Property) (Amendment) Regulations, 2020.

   (2) They shall come in to force at once.

2. **Amendment of regulation 7:-** The existing regulation 7 of Chapter-II of the Rajasthan Housing Board (Disposal Of Property) Regulations, 1971 shall be substituted by the following namely,-

7. **Eligibility for Allotment**

A person shall be eligible for allotment of a dwelling unit if he or his wife-her husband or any of his dependent relations, including unmarried children, does not own in full or in part on free-hold or lease-hold basis any residential plot or house in the city or town where allotment is sought, this condition may be relaxed.

Provided that if the plot under the residential house owned is less than 90 sq. yards or the house owned is in dilapidated condition or is situated in inhabitable locality, this condition may be relaxed.

Provided further that in case of persons who are co-sharers of ancestral houses and their share of accommodation is inadequate to their requirements, this condition may be relaxed.

By Order

(Sanchita Bishnoi)
Secretary
Rajasthan Housing Board

राजस्थान आवासन मण्डल : जयपुर.

क्रमांक :– 117 दिनांक :– 23.11.20

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति के अनुक्रम में, राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक मुसप्र/2020/383 दिनांक 30/07/2020 के तहत ''सम्पत्ति निस्तारण विनियम–1970'' में किये गये कतिपय संशोधनों के अन्तर्गत 'आवण्टन की पात्रता' शीर्षक के बिन्दु संख्या 7 में ''आवेदक द्वारा जिस शहर में आवास आवण्टन हेतु आवेदन किया जा रहा है, उस शहर में आवेदक स्वयं, उसका/उसकी पति/पत्नी, उनके अविवाहित बच्चों सहित उन पर आश्रित निकट सम्बन्धी के पास फ्री–हॉल्ड अथवा लीज–हॉल्ड पर आवासीय भूखण्ड या आवास नहीं होने की अनिवार्यता में शिथिलता प्रदान की गई।''

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं (IAS, IPS & IFS) के अधिकारियों हेतु दिनांक 02 अक्टूबर' 2020 से प्रारम्भ की गई "AIS रेजिडेन्सी'' योजना के आवेदन पत्र में बिन्दु संख्या 14(3) एवं 14(3) में विहित प्रावधानों के पूर्ववर्ती शिथिलता के विपरीत होने के मध्येनजर, इन दोनों प्रावधानों को विलोपित किया जाता है। इन दोनों प्रावधानों के विलोपित होने के परिणामस्वरूप, आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 8(2–h) में वांछित 'स्वयं अथवा पति–पत्नी अथवा आश्रितों के नाम कोई भूमि/भवन न होने सम्बन्धी शपथ–पत्र' की प्रस्तुति भी आवश्यक नहीं होगी।

उक्त आदेश वर्तमान में चल रही अन्य सभी पंजीकरण योजनाओं में भी समान रूप से लागू होगा तथा आगामी पंजीकरण योजनाओं की बुकलेट एवं आवेदन पत्र इन शिथिलताओं के अनुरूप ही बनाये जावें।

Sd/-
(पवन अरोड़ा)
आवासन आयुक्त.

CE(HQ)/709
24/11/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव–माननीय अध्यक्ष महोदय/आवासन आयुक्त, रा0आ0मं0, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, रा0आ0मं0, जयपुर।
3. सचिव/वित्तीय सलाहकार/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0मं0, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0आ0मं0, जयपुर/जोधपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, रा0आ0मं0, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक–सिस्टम एनालिस्ट, रा0आ0मं0, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त, रा0आ0मं0, वृत ——————————(समस्त).
8. आवासीय अभियन्ता, रा0आ0मं0, खण्ड ——————————(समस्त स्वतन्त्र खण्ड).
9. रक्षित पत्रावली।

आवासन आयुक्त.

AHC (HQ) TA CTM
25/11/20

Sr. PM
CEM
28-6-2021

Secy-h-108
28/6/21

(10)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः–प.8(6)नविवि / राआम / 2021 जयपुर, दिनांकः 25 JUN 2021

EM(HQ)

सचिव,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

29-06-2021

EM/282
29-6-21

विषयः– राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पति निस्तारण विनियम, 1970 के अध्याय 2 के नियम 7 के अन्तर्गत दिये गये प्रावधान में संशोधन किये जाने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्रांक 1480 दिनांक 05.01.2021

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के कम मे राज्य सरकार के सक्षम स्तर से लिये गये निर्णयानुसार राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के अध्याय 2 के नियम 7 मे वर्णित किसी भी प्रतिबन्ध की आवश्यकता नहीं होगी। अब कोई भी व्यक्ति आवासन मण्डल का मकान/आवास आवंटन कराने का या नीलामी मे कय करने का पात्र होगा, भले ही उसके या उसके किसी परिजन के पास कहीं पर भी अन्य आवास हो। अतः राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के अध्याय– 2 के नियम 7 को विलोपित किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

अतः उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कर इस विभाग को अवगत करवाये जाने का श्रम करावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम